फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

धर्मनाथ बनाम विक्रमनाथ वगैरह

किस्म मुकदमा : अपील: अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट 47/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18.9.19	पत्रावली प्रस्तुत हुई । पत्रावली पर अंकित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 1.8.19, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत चक 2एम.एल (तहसील श्रीगंगानगर) द्वारा जारी किया गया वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 19.4.18 एवं उसी ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.4.18 की बैठक में भूमि नामान्तरकरण बाबत पारित किया गया प्रस्ताव अपास्त किया गया, के विरुध्द राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है । हमने प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 का अवलोकन किया । सम्भागीय आयुक्त न्यायालय को भू–अभिलेख निदेशक की शक्तियां प्रदत्त है, जिसमें अधिनियम की धारा 75–एफ के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत करने का निम्नप्रकार से प्रावधान किया हुआ है :– First Appeals Section 75(F) : to the Director of Land Records from an original order passed by a Land Records Officer in matters connected with land records. उक्त विवरण के अनुसार भू–अभिलेख अधिकारी के मूल आदेश के विरुध्द धारा 75 के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान दिया हुआ है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी विक्रमनाथ द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी निगरानी प्रकरण सं0 23/2018 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 1.8.2019, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत को उत्तराधिकारी/वारिस प्रमाण पत्र बनाने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण न्यायालय अति. जिला कलक्टर प्रशासन, श्रीगंगानगर द्वारा निगरानी प्रार्थी स्वीकार कर, ग्राम पंचायत चक 2एम.एल. द्वारा जारी किया गया वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 19.4.18 एवं उसी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर उसी ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 20.4.18 में भूमि नामान्तरकरण बाबत लिया गया पंचायत प्रस्ताव अपास्त किया गया, के विरुध्द राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है । न्यायालय के अनुसार प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार में नहीं है, क्योंकि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन सं0 एफ 139(19)आरडीपी/एल एण्ड जे/95/3273 दिनांक 26.10.96 द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत न्यायालय अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा निगरानी में पारित किये गये आदेश के विरुध्द सम्भागीय आयुक्त न्यायालय को अपील अन्तर्गत धारा–75 में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है तथा निगरानी में पारित आदेश के विरुध्द किसी भी न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है। गजट नोटिफिकेशन में न्यायालय सम्भागीय आयुक्त को शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :– Divisional Commissioner concerned in respect of order passed by collector under any provisions of the Rajasthan Panchayati Raj Act,1994 except order passed under Sec.97 and in all other cases to the collector of the District. अतः उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार न्यायालय अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 1.8.19 विरुध्द इस न्यायालय में राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी यह अपील संधारण योग्य नहीं होने से एवम् सुनवाई क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण मूल अपील मय दस्तावेज अभिभाषक अपीलान्ट को वापिस लौटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं । पत्रावली नम्बर पर ली जाकर आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ मूल अपील वापिस लौटायी जावे ।	